FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान श्रीमति गोमती देवी वगै0 बनाम श्रीमति तोफली देवी वगै0

किस्म मुकदमा अपील एलआरएक्ट नम्बर 11/27/2015 दायर दिनांक– 01.07.2015

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.12.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय–पक्ष उप0। प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व मियाद अधिनिमय प्रा.पत्र दफा 5 पर बहस सुनी गई। वकील रैस्पो0 द्वारा प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने इंतकाल सं0 390 वाके ग्राम काबलीगन तहसील थानागाजी के विरूद्ध पेश की है। जिसका निर्णय नायब तहसीलदार थानागाजी द्वारा दि0 26.06.1992 को किया गया है और अपील 23 वर्ष बाद दि0 01.07.2015 को पेश की गयी है। अपील देरी से पेश करने का कोई संतोषप्रद कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, जबकि देरी को कन्डोन करने के लिए दिन–प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है। जिससे अपील स्पष्ट्तया मियाद बाहर है। अपीलांट को उक्त इंतकाल की अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। मृतक श्रीनारायण के पास विवादित इंतकाल के अधीन आराजी उसके पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। श्रीनारायण की स्वंय की पैदाकर्ता आराजी नहीं है। कानूनन दफा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक की लडकियों का पैतृक आराजी में हिस्सा नहीं होता है। सन् 2005 के संशोधन के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में लडकियों का पैतृक जायदाद में हिस्सा माना है। ऐसी स्थिति में पैतृक जायदाद में सन् 2005 के बाद से लडकियों का हिस्सा होता है, जबकि विवादित इंतकाल दि0 26.06.1992 को तस्दीक किया गया है। अतः प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर तथा अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमायी जावें। वकील अपीलांट ने अपने जवाब में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपील सर्वप्रथम जानकारी की दि0 16.06.2015 से अन्दर मियाद पेश की गयी है। अपीलांट्स अपने पिता स्वर्गीय श्रीनारायण की जायज वारिस है तथा पैतृक सम्पत्ति जो पिता की विरासत से प्राप्त हुई है। उसमें अपना हक व अधिकार रखती है। सन् 2005 में न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जिसमें किसी पुत्री को अपने पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं है, बल्कि पुत्र–पुत्री को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में विरासत के समान अधिकार दिये गये है। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार कोई अपील खारिज नहीं की जा सकती। विभिन्न न्यायालयों ने अपने अभिमतों से स्पष्ट किया है कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत कोई दावा, प्रा0पत्र, अपील खारिज नहीं की जा सकती है। मैरिट और विधिक प्रक्रियानुसार ही निर्णय किया जावें। अतः प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावें और अपील अंदर मियाद शुमार फरमायी जावें।	न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर — राजस्थान सरकार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज०)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वकील उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। वकील रैस्पो0 द्वारा पेश किया गया आदेश 07 नियम 11 का प्रा0पत्र अपील पर लागू नहीं होता है। इस संबंध में वकील अपीलांट द्वारा पेश नजिर पहली अनुसूची आ0 7 सीपीसी पेज 58 पूर्ण रूप से चस्पा होती है। अतः प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाता है। किन्तु अपीलांट द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दि0 26.06.1992 के 23 वर्ष बाद दि0 01.07.2015 को पेश की गयी है। जबकि अपील में हुई देरी को कन्डोन करने के लिया दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण लिया जाना आवश्यक है, जो अपीलांट द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भगवतसिह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)